

818/19



पत्रावली पेश हुई, वकील कपीलानंद इपतिपत्र
नहीं। न ही कपीलानंद इपतिपत्र। न्यायालय
कागज में प्रथम प्रथम सूचना देते के बाक्युड
नी कोई इपतिपत्र नहीं किया। कपीलानंद
स्वयं जाते ही युका है जिसे कागज मुकाम
पेश करने के लिए तारीख पेशी 22/5/19
को कौनिस कलकट दिया गया था फिर भी
पालना नहीं की गई है। कपीलानंद
पेछी एवं कलकट हाजरी एवं कागज मुकाम को
शिकाउ पर लेके के कलकट की पालना नहीं
लेते है कपीलानंद खारिज की जाती है।
पत्रावली जैतल शुभाह होया
नकर है कम ही। बाद तकमील दाखिल
दफतर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
- बाड़मेर